



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 444 वर्ष 2026

अनुज शर्मा

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आकाश मणि त्रिपाठी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री आकाश मणि त्रिपाठी, विद्वान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एवं श्री जितेन्द्र प्रसाद, विद्वान स्थायी अधिवक्ता, राज्य के पक्षकार, को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता के पिता, जो दिनांक 14.10.1998 को गृह रक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे, का निधन वर्ष 2007 में हो गया। याचिकाकर्ता ने पूर्ण वयस्कता प्राप्त होने के बाद सहानुभूतिपूर्ण नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु उसके दावे पर विचार नहीं किया गया।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निवारण तृतीय प्रत्यर्थी, जिला कमांडेंट (आयुक्त), गृह रक्षक, बुलंदशहर द्वारा किया जाएगा।
4. उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, याचिका को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक **30.01.2026** तक याचिका की स्व-प्रतिलिपि और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ विस्तृत प्रतिनिधित्व तृतीय प्रत्यर्थी, जिला आयुक्त, गृह रक्षक, बुलंदशहर के समक्ष प्रस्तुत करे। इसके पश्चात, तृतीय प्रत्यर्थी याचिकाकर्ता के दावे का निवारण दो महीनों के भीतर करें।

19 जनवरी, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।